उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

विविध वाद संख्या–13/2020

मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी

–बनाम–

राज्य, जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सं
17.03.2021	प्रस्तुत मामला मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग को कोयला खनिज आधारित उद्योग में लिंकेज द्वारा प्राप्त कोयला आपूर्ति स्थगित किये जाने से संबंधित है। खनन कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक–93 दिनांक–01.02.2020 के द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, रांची को प्रेषित पत्र में प्रश्नगत् मामले की जांच पूरी होने तक कोयला आवंटन स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, JSMDC का अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–1444 दिनांक–30.09.2019, आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग का पत्र संख्या–1042 दिनांक–23.08.2019 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र संख्या–11036/01/NHAI/PIU-HZB/2019/1496 दिनांक–23.01.2020 के आलोक में प्रश्नगत् मामले की जांच जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग से कराई गई। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के जांच प्रतिवेदन के आलोक में मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी को निर्गत ई–परिवहन चालान में उपयोग किये गये वाहनों का 10 घंटे के अंतराल पर रसोईयाधमना टोल प्लाजा, बरही पार करने के मामले में जांच पूरी होने तक सी0सी0एल0 से कोयला आवंटन स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे : टिप्पणी तारीख सहि

मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के द्वारा दिनांक–29.05.2020 को आवेदन पत्र समर्पित कर खनन कार्यालय, हजारीबाग द्वारा निर्गत पत्रांक–93 दिनांक–01.02.2020 से संबंधित आदेश को रद्द अथवा वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग वैध तरीके से स्थापित एवं क्रियाशील औद्योगिक ईकाई है जो जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग के द्वारा निबंधित है। उक्त औद्योगिक इकाई को झारखण्ड सरकार द्वारा फैक्ट्री लाइसेन्स प्रदत्त है एवं लाइसेन्स दिनांक 31.12.2020 तक वैध है। हार्ड कोक का उत्पादन किये जाने के कारण उक्त औद्योगिक इकाई को सी0सी0एल0 के साथ FSA (Fuel Supply Agreement) होने के आधार पर सी0सी0एल0 के विभिन्न कोयला खदानों से लिंकेज के आधार पर कोयला की प्राप्ति होती रही है। औद्योगिक इकाई को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची से दिनांक–30.04.2023 तक का CTO प्राप्त है।

अपीलार्थी द्वारा पुनः बताया गया है कि खनन कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक–93 दिनांक–01.02.2020 में मेसर्स गोयल उद्योग पर आरोप लगाया गया है कि मेसर्स गोयल उद्योग के पक्ष में सी0सी0एल0 द्वारा निर्गत ई–परिवहन चालानों का उपयोग रसोइयाधमना टॉल प्लाजा से पार होने में किया गया है जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अपीलार्थी द्वारा पूरे आरोप को बिना किसी उचित

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सं

प्रमाण के संदेह आधारित बताया गया है। पुनः जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–119 दिनांक–04.02.2020 के द्वारा कारण पृच्छा किया गया कि क्यों नही लिंकेज से प्राप्त कोयला की आपूर्ति बंद कर दी जाय। उक्त कारण पृच्छा के आलोक में आवेदक द्वारा दिनांक–10.02.2020 को लिखित स्पष्टीकरण जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग को समर्पित किया गया। उक्त स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी निकट के कोयला खदानों से मात्र 20–30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। निकट होने के कारण कोयला खदानों से उक्त औद्योगिक इकाई तक वाहनों को आने में लगभग 1 घंटा का समय लगता है एवं वाहन से कोयला उतारने में मात्र 10–15 मिनट का समय लगता है। उक्त औद्योगिक इकाई के समीप में विभिन्न औद्योगिक इकाईयाँ होने के कारण उक्त वाहनों का उपयोग अन्य औद्योगिक इकाईयों द्वारा किये जाने की संभावना है। यदि उक्त वाहन रसोइयाधमना टॉल प्लाजा को पार करता है तो उससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वाहन से कोयला का परिवहन किया गया था। साथ ही ई–चालान से वाहन संख्या– JH 02AR-7201 एवं NL 01K-0103 का रसोइयाधमना टॉल प्लाजा पार करने का समय पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। आवेदक द्वारा बताया गया कि बिना प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर औधोगिक ईकाई को कोयला आवंटन एवं आपूर्ति बन्द किये

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

जाने के कारण इकाई बन्द होने के कगार पर है जिससे कुछ लोगों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है।

आवेदक द्वारा मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग पर लगे आरोपों से मुक्त करने एवं कोयला आपूर्ति पर रोक लगाने से संबंधित सी0सी0एल0 को दिये गये निदेश को वापस लेने या रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के उक्त आवेदन की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग के पत्रांक–679 दिनांक–07.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त औद्योगिक इकाई द्वारा Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के नियम 3 के तहत डीलर लाइसेन्स प्राप्त नहीं किया गया है। Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के तहत पुराने नियम में निबंधित इकाईयों को अप्रैल 2018 तक की समयावधि में पूर्व में निबंधन के आधार पर नये नियम के तहत् निबंधन कराना था, जिसमें यह औद्योगिक इकाई विफल रही। वर्तमान में मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के नाम पर किसी भी प्रकार का डीलर लाइसेन्स JIMMS Portal पर प्रदर्शित नहीं है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गः कार्रवाई के बारे ः टिप्पणी तारीख सहि

द्वारा सी0सी0एल0 से क्रय किये कोयले से संबंधित 23 ई–परिहवन चालान की जांच की गई, जिनमें से 20 ई–परिवहन में उल्लेखित वाहनों का रसोइयाधमना टॉल प्लाजा, बरही से पार करने की पुष्टि की गई है। उक्त 20 में से 02 परिवहन चालान में प्रयुक्त वाहन 10 घंटे से भी कम समय में टॉल प्लाजा से गुजरे हैं। इस संदेहास्पद स्थिति के आधार पर कोयला आवंटन स्थगित करने का अनुरोध सी0सी0एल0 से किया गया। पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग द्वारा FSA (Fuel Supply Agreement) से आवंटित कोयले को अपने औद्योगिक इकाई न ले जाकर अन्यत्र भेजने का मामला प्रकाश में आया है। संदिग्ध कुल कोयले खनिज की मात्रा 49.41 टन है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के द्वारा खनिज के क्रय–विक्रय हेतु डीलर लाइसेन्स हेतु आवेदन दाखिल किया गया है परंतु आवेदन का ससमय निष्पादन नहीं किया गया। जबकि झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण रोकथाम) नियमावली–2017 के नियम–4 के अनुसार 30 दिनों के समय के अंदर डीलर लाइसेन्स के आवेदन का निष्पादन नहीं होने पर आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। यह भी प्रासंगिक है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डीलर लाइसेन्स के आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के अंदर किया जाना है। अतः मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के विरूद्ध डीलर लाइसेन्स नहीं होने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के द्वारा खनिज के क्रय–विक्रय

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गः कार्रवाई के बारे व टिप्पणी तारीख सहि

हेतु डीलर लाइसेन्स हेतु आवेदन दाखिल किया गया है परंतु आवेदन का ससमय निष्पादन नहीं किया गया। जबकि झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण रोकथाम) नियमावली–2017 के नियम–4 के अनुसार 30 दिनों के समय के अंदर डीलर लाइसेन्स के आवेदन का निष्पादन नहीं होने पर आवेदन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा। यह भी प्रासंगिक है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डीलर लाइसेन्स के आवेदन का निष्पादन 30 दिनों के अंदर किया जाना है। अतः मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के विरूद्ध डीलर लाइसेन्स नहीं होने संबंधी आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी, हजारीबाग के विरूद्ध कोयला का दुरूपयोग करने एवं संबंधित वाहन के रसोइया धमना टोल प्लाजा पार करने संबंधी आरोप के मामले में पूर्व में सदृश्य मामले में वाद संख्या–04/20, 05/20, 06/20 एवं 07/20 में वाहन के प्रस्थान करने एवं टोल प्लाजा पार करने के बीच 05 घंटे से कम का अंतराल होने पर खनिज के दोगुने मूल्य के जुर्माना के साथ मामले को निष्पादित किया गया है।

आवेदक को आवंटित कोयला परिवहन करने वाले वाहन के टोल प्लाजा पार करने के संबंध में दो वाहन 10 घंटे से उपर अवधि में पार करने की सूचना है। अपीलार्थी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है कि उनका उद्योग उठाव किये गये कोयला खदान से 20–30 मिनट की दूरी पर है तथा 1 घंटा 15 मिनट में कोयला लाने एवं उतारने में समय लगता है।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सा

इस प्रकार समीक्षा के क्रम में यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि टोल प्लाजा से पार किये दो वाहन अपीलार्थी के ईकाई द्वारा उठाव किये गये कोयले के साथ पार किया है। अतः वाद संख्या 06/2020 में दिनांक 17.03.2020 को पारित आदेश के आलोक में मेसर्स गोयल उद्योग के विरूद्ध जुर्माना वसूलनीय नहीं है। साथ ही इस आशय के साथ कि उपरोक्त वर्णित मामला परिलक्षित होने पर सदृश्य मामले में की गई कार्रवाई के अनुरूप जुर्माना वसूली एवं अन्य कार्रवाई की जाए, मामले को निष्पादित किया जाता है एवं **खनन कार्यालय के पत्रांक–93 दिनांक–01.02.2020 के द्वारा कोयला आवंटन को स्थगित रखने संबंधी आदेश को समाप्त किया जाता है**। चूँकि प्रश्नगत् मामला कोयला के अनियमित रूप से खुले बाजार में बेचने की संभावना से संबंधित है अतः भविष्य में ऐसी संभावना प्रकट नहीं हो, इसके लिए निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

I. *जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग नियमित रूप से मेसर्स मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगी का स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।*

II. *आवेदक कोयला खनिज उपयोग से संबंधित मासिक रिटर्न जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग को अवश्य समर्पित करेंगे।*

III. *जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग आवेदक को आंवटित कोयला एवं आवेदक के द्वारा दायर मासिक रिटर्न की समीक्षा एवं जांच नियमित रूप से सुनिश्चित करेंगे।*

IV. *आवेदक कोयला आपूर्ति करने से पूर्व डीलर लाईसेंस प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।*

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सा

जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर समर्पित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस वाद में आवेदक के द्वारा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं अंकित किया गया है। यदि जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग नियमित जांच के क्रम में अथवा अन्य माध्यमों से आवेदक के द्वारा किसी प्रकार के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाते हैं तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम होंगे।

इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2022.04.09 13:46:59 +05:30
Location: 192.168.100.105